

संख्या :- 87/2016

पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

- 1- श्री गणेश १/० रामलाल राव नि० सोनियाबा
- 2- श्री धनराज १/० रामलाल राव नि० सोनियाबा

बनाम

- 1- श्री जगदीश १/० मोतीलाल राव नि० सोनियाबा
- 2- श्री सत्यनारायण १/० मोतीलाल राव नि० सोनियाबा
- 3- श्री शान्तिराम १/० मोतीलाल राव नि० सोनियाबा
- 4- श्री केलाराय चण्ड १/० ^{बनाम} मोतीलाल राव नि० सोनियाबा
- 5- श्री रतनलाल १/० मोतीलाल राव नि० सोनियाबा
- 6- श्री रोडीलाल १/० मांगीलाल बडवा नि० सोनियाबा
- 7- श्री रामेश्वरलाल १/० बन्दी चण्ड पाटील नि० सोनियाबा

विपक्षीगण

:: आदेश ::

दिनांक:- 30/5/2016

प्रार्थी/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाबा पटवारी हल्का सोनियाबा तहसील, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| आराजी नं. | 2432 | 2464 | 3585 | 3587 | 3590 |
| | 0.09 हे. | 0.10 हे. | 0.04 हे. | 0.08 हे. | 0.13 हे. |

कुल किता 5 रकबा 0.44 हे. भूमि है

जिसकी सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

विपक्षी संख्या..... पेसेकार सरकार औपचारिक पक्षकार है।

शेष विपक्षी संख्या 1, 6, 7 ~~से जमावा~~ बावजूद सूचना सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहे जिससे इनके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा प्रार्थी/प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थी/प्रार्थीगण अपनी कृषि जोत की पत्थर गढ़ी कराने के अधिकारी है। विवादित आराजियात ग्राम सोनियाबा पटवार हल्का सोनियाबा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं० 2432 2464

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| | 3585 | 3587 | 3590 |
| | 0.04 हे. | 0.08 हे. | 0.13 हे. |

कुल किता 5 रकबा 0.44 हे० भूमि के चारो तरफ की सीमा की

पुख्ता जानकारी के लिये कब्जे को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील सहाड़ा में 250/- रुपये बतौर शुल्क जमा करावे एवम प्रार्थी द्वारा पत्थर गढ़ी की